



राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संस्थान) राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)
(An Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)
Rajendranagar Hyderabad- 5000 30

अर्जित अवकाश हेतु आवेदन / परिकलन चिकित्सा अवकाश आदि **APPLICATION FOR EARNED LEAVE/COMMUTED MEDICAL LEAVE ETC.**

- 1 आवेदक का नाम :
Name of the Applicant
- 2 लागू अवकाश नियम :
Leave Rules Applicable
- 3 पद :
Post Held
- 4 विभाग, कार्यालय व अनुभाग :
Department, Office and Section
- 5 वेतन : रु. Rs. -----
Pay
- 6 मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, या :
अन्य प्रतिपूरक भत्ता जो कि वर्तमान पद
में अदायगी
House rent allowance,
conveyance allowance or
other compensatory allowance
drawn in the present post
- 7 आवेदन की गयी अवकाश की प्रकृति :
एवं अवधि और वह तिथि जब से इसकी
आवश्यकता है
Nature and period of leave
applied for and date from
which required
- 8 रविवार और अवकाश, यदि कोई हो तो :
अवकाश को आरंभ में/ बाद में जोडा
जाना प्रस्तावित है
Sundays and holidays, if any,
proposed to be prefixed /
suffixed to leave
- 9 वह कारण जिसके लिए अवकाश हेतु :
आवेदन किया है
Grounds on which leave is
applied for
- 10 अवकाश से लौटने की तिथि और :
अवकाश की अवधि एवं प्रकृति
Date of return from leave and
the nature and the period of
the leave

11 मैं प्रस्तावित/नहीं प्रस्तावित करता/करती हूँ कि, अवकाश वर्ष को सुनिश्चित करने के दौरान, ब्लाक वर्षों हेतु मेरे लिए लीव ट्रैवल कंसेशन प्राप्त करूँगा/करूँगी :

I proposed/do not propose to avail myself of Leave Travel Concession for the block years, during the ensuring year leave

12 अवकाश अवधि के दौरान पता :
Address during leave period

13 क. मैं वचन देता/देती हूँ कि, औसत वेतन/रूपांतरित अवकाश पर लीव के दौरान अदा किया गया अवकाश वेतन और अर्ध औसत वेतन/अर्ध वेतन अवकाश पर लीव के दौरान ग्राह्य, के मध्य अन्तर को लौटा दूँगा/दूँगी जो कि स्वीकार्य नहीं है और संशोधित अवकाश नियमावली-1973 के एफआर-81 (बी) रूल II(सी) III के प्रावधान वर्तमान अवकाश के दौरान सेवा से मेरी सेवानिवृत्ति की स्थिति में लागू नहीं होगी ।

a. I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay / commuted leave and that admissible during leave on half average pay / half pay leave, which would not have been admissible and the provision to F.R.81(b) Rule II (c) (III) of the Revised Leave Rule 1973 not been applied in the event of my retirement from service at the one of during the current of the leave.

ख. मैं वचन देता/देती हूँ कि, “नियत अवकाश” के दौरान अदा किये गये अवकाश को लौटा दूँगा/दूँगी जो कि स्वीकार्य नहीं है और आरएलआर 1973 के एफआर 81 (ई) एसआई (ई) II नियम II (बी) तब लागू नहीं होगा जब अर्ध वेतन अवकाश किसी भी एक समय मेरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा से इस्तीफा हो जाता है, यदि मेरे द्वारा प्राप्त अवकाश की राशी, नियत से कम होती है ।

b. I undertake to refund the leave drawn during “Leave Due” which would not have been admissible and F.R.81(e) II Rule II (b) of R.L.R. 1973 not been applied in the event of my Voluntary Retirement or Resignation from service at any time until half pay leave if less than the amount of leave not due availed of by me.

आवेदक के हस्ताक्षर(दिनांक के साथ)
Signature of the Applicant (with date)

आवेदक का अवकाश के दौरान पता
Leave address of the applicant:

14. टिप्पणी और या अनुशंसा
नियंत्रक अधिकारी/फैकल्टी/हेड
Remarks and or recommendation:
Of the Controlling Officer/Faculty/Head

दिनांक व पदनाम के साथ हस्ताक्षर
Signature with Date & Designation

स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी
स्वीकृत किया गया/नहीं किया गया
Remarks of Sanctioning Authority
Sanctioned/Not Sanctioned

अवकाश स्वीकार्यता से संबंधित प्रमाण पत्र
Certificate Regarding Admissibility of Leave

15. प्रमाणित किया जाता है कि दि. _____ से दि. _____ तक
_____ (अवकाश की प्रकृति) _____ के अंतर्गत स्वीकार्य है ।

Certified that _____ (nature of leave) from _____
to _____ is admissible rule _____

हस्ताक्षर तिथि सहित पदनाम
Signature with Date &
Designation

मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the Sanctioning Authority

हस्ताक्षर तिथि सहित पदनाम
Signature with Date &
Designation

यदि आवेदक किसी प्रकार के प्रतिपूरक भत्ते का आहरण करता है तो मंजूरीकृत प्राधिकारी स्पष्ट करें तथा अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आवेदक उसी पद पर कार्य करेगा या अन्य पद पर जिस पर समान भत्ते लगू हैं ।

If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave, he likely, to return to the same post or to on other post carrying as similar allowance.